न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री जे.पी. बैरवा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 31/2017

वादीया बनाम प्रतिवादीगण

1. गीता पत्नि पुखराज
जाति–ब्राह्मण, निवासी–अमरपुरा
तहसील–जैतारण, जिला–पाली

1. सुरेश पुत्र मोहनलाल
2. दिनेश पुत्र मोहनलाल
जातियान–पुरोहित, निवासी–लाम्बिया
तहसील–जैतारण, जिला–पाली
हाल–2/628, हाऊस, कुडी
हाऊसिंग बोर्ड, मैन रोड़, संस्कृत
स्कूल के सामने, जोधपुर
3. तहसीलदार, जैतारण
भूमिधारी राजस्थान सरकार
तहसील–जैतारण, जिला–पाली

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.15/02/2017**

उपस्थित:. 1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादीया।

–:: निर्णय ::– **दिनॉक:– 01/02/2018**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा–लाम्बिया, पटवार हल्का–लाम्बिया, तहसील–जैतारण में वादीया एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 642 रकबा 13–00 बीघा किस्म चाही चारम की आई हुई हैं। नकल जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 की व नक्शा ट्रेस पेश हैं। उक्त वर्णित कृषि भूमि में वादीया 7/9 हिस्से तथा प्रतिवादीगण 2/9 हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं। इसी हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त करते हैं। वादीया द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे में वादीया की कृषि भूमि को नक्शे में पीले रंग से तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की कृषि भूमि हरे रंग से दर्शाया हैं। नजरी नक्शा साथ पेश हैं। उक्त वर्णित कृषि भूमि खातेदारान् की शामलाती खातेदारी में राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं। शामलाती खातेदारी की कृषि भूमि होने से वादीया को अपने हिस्से की कृषि भूमि को उन्नत तरीके से काश्त करने के लिये परेशानियों को सामना करना पड़ता हैं। इस कारण के अनुसार बंटवाड़ा करने हेतु दिनांक 01/02/2017 को कहा, तो प्रतिवादीगण ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया, इतना ही शामलाती कृषि भूमि होने से आये दिन खातेदारान् के बीच खन्दक को लेकर वाद विवाद भी होता रहता हैं। इस कारण से वादीया ने वाद–पत्र बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया हैं। वादीया ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध बंटवाड़ा का वाद–पत्र पेश किया हैं। इस कारण से तहसीलदार, जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार होने से आवश्यक पक्षकार हैं। बिनायवाद दिनांक 01/02/2017 को वादीया ने वाद–पत्र में वर्णित कृषि भूमि के बंटवाड़ा करवाने हेतु कहा, तो संतोषजनक उत्तर नहीं देने व खन्दक को लेकर वाद विवाद करने पर बमुकाम–लाम्बिया, तहसील–जैतारण में पैदा हुआ, जो श्रीमान् के अधिकार क्षैत्र में हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

वादीया का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। वकील वादीया एवं प्रति0 संख्या 02 एवं प्रति0 संख्या 01 की ओर से प्रति0 संख्या 02 ने आम मुख्त्यारनामा पेश किया। प्रति0 संख्या 02 एवं प्रति0 संख्या 01 की ओर से प्रति0 संख्या 02 ने एक तहरीरी राजीनामा पेश किया कि उक्त अनवान के प्रकरण में वादीया 7/9 हिस्से तथा प्रति0 2/9 हिस्से के खातेदार हैं। इसी हिस्से अनुसार काबिज हैं तथा उक्त कृषि भूमि का मौके पर वादीया द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शेनुसार बंटवाड़ा किया जावें, तो हम प्रति0 को कोई एतराज नहीं हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र, दस्तावेजात एवं नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादीया एवं प्रतिवादीगण राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं, बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा चाहते हैं। लिहाजा माफिक राजीनामा एवं वादीया द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार प्राथमिक डिक्री किया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा-लाम्बिया, पटवार हल्का-लाम्बिया, तहसील-जैतारण में वादीया एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 642 रकबा 13-00 बीघा किस्म चाही चारम की आई हुई हैं। नकल जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 की व नक्शा ट्रेस पेश हैं। उक्त वर्णित कृषि भूमि में वादीया 7/9 हिस्से तथा प्रतिवादीगण 2/9 हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं।, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2017/1049 दिनांक 13/09/2017 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण के पत्रांक/भू.अ./2017/5428 दिनांक 21/11/2017 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकील वादी की सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादीगण ने माफिक राजीनामा मय नजरी नक्शा अनुसार बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईशतदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-लाम्बिया, पटवार हल्का-लाम्बिया, तहसील-जैतारण में वादीया एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 642 रकबा 13-00 बीघा किस्म चाही चारम बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	सुरेश, दिनेश पिता मोहनलाल कौम पुरोहित सा. देह खातेदार	642/4	2-14-00	चाही चारम	6.64 रू.

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

2	गीता पत्नि पुखराज पंचारिया कौम ब्राहम्ण सा. अमरपुरा खातेदार	242	9-09-00	चाही चारम	17.67 रू.

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीया के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनांक **01/02/2018** को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली(राज0)

Scanned by CamScanner